देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर 452 001

क्रमांक: स्थापना/उपादान (ग्रेच्युटी)/2020–2021/247 दिनांक 25 FEB 2021

//आदेश//

अधिकारियो/शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वर्तमान मे देय उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि 10.00 लाख से बढ़ाकर राशि 20.00 लाख के भुगतान के संबंध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.11.2020 में की गई अनुशंसाओं का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.01.2021 मे अनुमोदन किया गया। वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि– मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ.73–4/2020/38–3 भोपाल दिनांक 29.07.2020 के अनुसार "अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी उनके परिनियम के प्रावधान अनुसार स्वयं के संसाधनों से उपादान(ग्रेच्युटी)मात्र के भुगतान की स्थिति मे विभाग को कोई आपत्ति नहीं है" के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार अधिकारियों/शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वर्तमान में देय उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि 10.00 लाख से बढ़ाकर राशि 20.00 लाख शासन के आदेशानुसार नियमानुसार दिये जाने की समिति द्वारा अनुशंसा की गई।

अतः कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.01.2021 मे वित्त समिति की अनुशंसाओं के अनुमोदन अनुसार एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ.9–13/17/नियम चार दिनांक 26.10.2017 में दिये गये निर्देशानुसार पुनरीक्षित वेतनमान मे मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अन्तर्गत अधिकारियो/शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वर्तमान में देय उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि 10.00 लाख से बढ़ाकर राशि 20.00 लाख करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त स्वीकृति दिनांक 01.01.2016 से प्रभावशील होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक: स्थापना/उपादान (ग्रेच्युटी)/2020–2021/247 दिनांक: 25 FEB 2021

प्रतिलिपि:–

1. वित्त नियत्रंक, वित्त विभाग,दे.अ.वि.वि.इन्दौर
2. समस्त अधिकारीगण, दे.अ.वि.वि.इन्दौर,
3. लेखा/अंकेक्षण उपविभाग/ पेंशन सेल
4. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक एवं विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशाला/संस्थान,दे.अ.वि.वि.इन्दौर
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
6. उपकुलसचिव प्रशासन (कार्यपरिषद् सेल)की ओर कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 15.01.2021 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पालन प्रतिवेदन।
7. अध्यक्ष/महासचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर्मचारी(गैर शिक्षक)संघ इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उपकुलसचिव(स्था.)